प्रेस नोट-थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक- 08.03.2026

"सर्विलांस सेल, जनपदीय स्वाट/एस0ओ0जी व थाना कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा साईबर अपराध करने वालें 02 शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एंव चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में" सर्विलांस सेल, जनपदीय स्वाट/एस0ओ0जी व थाना कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर दो नफर अभियुक्त 1. श्रीश गुप्ता पुत्र उमेश चन्द्र निवासी 02/72 आवास विकाश कालौनी बरेली मोड थाना कोतवाली जनपद शाह0 उम्र करीब 44 वर्ष 2. राहिल पुत्र ताहव्वर खान निवासी पुत्र तारीन गाडीपुरा पुत्तूलाल चौराहा बिलाल मस्जिद PS रामचन्द्र मिशन जि0शाहजहाँपुर उम्र करीब 42 वर्ष को मय 19 अदद की-पैड मोबाइल ,08 मोबाइल एन्ड्राइड,03 अदद रिकार्ड कापी, 25430-/रुपये नकद ,19 जियो पैमेंट बैंक लिफाफे मय ATM कार्ड, 10 डेबिट कार्ड जियो ,दो माइक्रो ATM मशीन, 02 बायोमैट्रिक मशीन,06 डेबिट कार्ड NSDL पैमेंट बैंक के साथ बरेली मोड सड़क पुल के पास स्थित पेट्रोल पम्प के पास लकडी का खोखा जिस पर गुप्ता CSE केन्द्र में हल्का चौकी अजीजगंज से दिनांक 07.03.2026 समय करीब 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना हाजा पर आज दिनांक 08.03.2026 को 68/26 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) BNS बनाम 1. श्रीश गुप्ता पुत्र उमेश चन्द्र निवासी 02/72 आवास विकाश कालोनी बरेली मोड थाना कोतवाली जनपद शाह0 उम्र करीब 44 वर्ष 2. राहिल पुत्र ताहव्वर खान निवासी पुत्र तारीन गाडीपुरा पुत्तूलाल चौराहा बिलाल मस्जिद थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 42 वर्ष 3. रोहित रंजन 4. सोनू पटना 5.सोनू हावडा 6.विकास 7.उपेश कुमार 7.मुकेश कुमार पंजीकृत किया गया। वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1. श्रीश गुप्ता पुत्र उमेश चन्द्र निवासी 02/72 आवास विकास कालोनी बरेली मोड थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 44 वर्ष

2. राहिल पुत्र ताहव्वर खान निवासी पुत्र तारीन गाडीपुरा पुत्तूलाल चौराहा बिलाल मस्जिद थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी माल का विवरण -

1. 19 अदद की-पैड मोबाइल
2. 08 मोबाइल एन्ड्राइड,
3. 03 अदद रिकार्ड कापी
4. 25430-/रुपये नकद
5. 19 जियो पैमेंट बैंक लिफाफे मय ATM कार्ड,
6. 10 डेबिट कार्ड जियो ,
7. दो माइक्रो ATM मशीन,
8. 02 बायोमैट्रिक मशीन,
9. 06 डेबिट कार्ड NSDL पैमेंट बैंक

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

बरेली मोड सडक पुल के पास स्थित पट्रौल पम्प के पास लकडी का खोका जिस पर गुप्ता CSE केन्द्र में हल्का चौकी अजीजगंज से दिनांक 07.03.2026 को समय 23.55 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त राहिल का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0- 623/2024 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कोतवाली शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0- 68/26 धारा 318(4),338,336(3) ,340(2), 61(2) BNS थाना कोतवाली शाहजहाँपुर

अभियुक्त श्रीश गुप्ता का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 1796/2009 धारा 323, 498A, 504, , 506, भादवि ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद हरदोई।
2. मु0अ0सं0- 68/26 धारा 318(4),338,336(3) ,340(2), 61(2) BNS थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0- 04/21 धारा 3,5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0, 2021 थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम जनपद शाहजहाँपुर।
4. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
5. उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
6. हे0का0 201 अनिल कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 2214 अर्जुन कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
8. का0 1594 नवनीत कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
9. का0 2651 रविशंकर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ अभियुक्तगण :-

अभियुक्त श्रीश गुप्ता ने पूछने पर बताया कि साहब मेरी बरेली मोड के पास पेट्रोल पम्प के सामने जन सेवा केन्द्र का खोखा है, मेरा बिहार के रहने वाले रोहित रंजन (मो0न0 8084717639) से करीब डेढ वर्ष पूर्व मोबाईल फोन से संपर्क हुआ था। रोहित रंजन ने मुझे कुछ सेविंग अकाउंट उपलब्ध कराने के लिए कहा और बदले मे मुझे 4500/- प्रति अकाउंट के हिसाब से तय किया। इस काम में मैने राहिल पुत्र ताहव्वर खान नि0मो0 तारीन गाडीपुर पुत्तूलाल चौराहा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर को शामिल किया। राहिल मेरे पास सीधे-साधे लोगो को बहला फुसलाकर अथवा लालच देकर उनका आधार कार्ड एंव पैन कार्ड प्राप्त करके मुझको देता था। मै उन लोगो के आधार से जिओ पैमेन्ट बैंक एवं NSDL पैमेंट बैंक का ऑनलाइन खाता खोलता था तथा उन खातो पर रोहित रंजन द्वारा दिये गये मो0न0 को शामिल करता था उसी मो0न0 पर खाते का OTP आता था जो रोहित रंजन मुझे बताता था तथा उस खाते के ATM की डिलीवरी के पते पर मैं अपना पता देता था खाते का ATM कार्ड जब मेरे पास आ जाता था तो मै उस ATM कार्ड को लिफाफे में रखकर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन मे लगे एटेन्डेन्ट के माध्यम से रोहित रंजन द्वारा बताये गये बिहार के किसी स्टेशन पर भेज देता था जिसके बदले मे रोहित रंजन मुझे एक खाते के 4500/- रुपये देता था। जिसको मैं और राहिल आपस मे बाट लेते थे। रोहित रंजन इन खातो को धोखा धडी के कामों से प्राप्त रकम को ऑनलाइन ट्रांसफर कर निकाल लेता है, हालांकि उक्त ऑनलाइन खातों का मूल स्वामी तो शाहजहाँपुर के आधार कार्ड एव पैन कार्ड स्वामी है परन्तु खाता प्रयोग कर्ता रोहित रंजन है साहब हम दोनो यह काम लगभग डेढ वर्षो से कर रहे है। धीरे-धीरे मेरे इस काम में सोनू पटना तथा सोनू हावडा तथा विकास मोवाइल नं0 9554659516 उपेश कुमार Mob N0. 9955228100 तथा मुकेश कुमार 8334878925 आदि लोगों से भी हमारा समपर्क हो गया और यह लोग भी हमे खाते का काम देने लगे जिससे हम दोनो कि आमदनी बढ़ती गयी। हालाकि हम लोग इन सभी लोगो से प्रत्यक्ष रुप से कभी नही मिले थे ये लोग अकसर भिन्न-2 नम्बरो से फोन करते थे तथा आनलाइन ही मेरे खाता सं0 10022010000790 पंजाब नेशनल बैंक शाखा ददरौल जनपद शाहजहाँपुर पर मुझे पेमेंट भेजते रहते थे जिसको मै और राहिल आपस मे बाट लेते थे साहब मै लालच में आ गया था मुझे माफ कर दो।